Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 14, 2024 (PHALGUNA 24, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2024

संख्या 06/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 20 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" को ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिसके साथ हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 158क की उपधारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सकेगा।

व्याख्या.– इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" से अभिप्राय है, उद्यम–श्रेणी का एक ओपन आर्किटेक्चर सूचना प्रौद्योगिकी मंच, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 की "विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन" पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के बृहत् वातावरण के प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे डिजीटल रूप में विभिन्न डाटा स्रोतों से और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डाटा सेवा प्रदाता, मानक और प्रोटोकाल चलित आर्किटेक्चर, ओपन और साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करके किसी मंच पर मिलते हैं, से सूचना तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 14th March, 2024

No. 06/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 158A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies "Public Tech Platform for Frictionless Credit" as the system with which information may be shared by the common portal based on consent under sub-section (2) of section 158A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).

Explanation.— For the purpose of this notification, "Public Tech Platform for Frictionless Credit" means an enterprise-grade open architecture information technology platform, conceptualised by the Reserve Bank of India as part of its "Statement on Developmental and Regulatory Policies" dated the 10th August, 2023 and developed by its wholly owned subsidiary, Reserve Bank Innovation Hub, for the operations of a large ecosystem of credit, to ensure access of information from various data sources digitally and where the financial service providers and multiple data service providers converge on the platform using standard and protocol driven architecture, open and shared Application Programming Interface (API) framework.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10964—C.S.—H.G.P., Pkl.